Dr. Seema Kumari, Asst. Prof. (Pol. sc.). 7.
Date - 23.06.2021. BA(I), Subs.

कानून के स्त्रोत (Sources of law)

कानून के स्त्रोत से तात्पर्य उन साधनों से है जो प्रत्यक्ष रूप से कानून के निर्माण में सहायता करते हैं। कानून के निम्न स्त्रोत हैं:-

टी. ई. हॉलैंड ने अपनी मुख्य कृति 'एलीमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस' के अंतर्गत कानून के 6 स्त्रोतों का उल्लेख किया है: रीति रिवाज, धर्म, वैज्ञानिक टीकाएं, न्याय निर्णय, साम्या (equity), और विधि निर्माण। मैकाइवर जैसे बहुलवादी विद्वानों का मानना है कि कानून राज्य की उत्पति से भी पहले मौजूद था, राज्य केवल कानून की घोषणा करता है इसका सृजन नहीं करता।

1. रीति रिवाज :— यह सबसे पुरातन स्त्रोत है। इनका निर्माण नहीं होता वरन धीरे-धीरे इनका विकास होता है। रोम का 'ट्वेल्व टेबल्स', भारत में स्मृतियां, इंग्लैंड में कॉमन लॉ, इसी स्त्रोत की देन है। इंग्लैंड की लोक विधि उन रीति रिवाजों पर आधारित है जिन्हें न्यायालयों ने कानून के तुल्य मान्यता प्रदान की है।

2. धर्म — रीति रिवाज और धर्म एकदूसरे में आपस में गुंथे हुए हैं। हिंदुओं और मुसलमानों का पर्सनल लॉ भारत में विवाह और उत्तराधिकार को नियमित करते हैं।

3. सैद्धान्तिक टीकाएं - अनेक विधिवेत्ताओं ने भिन्न-भिन्न देशों के कानून के तत्वों की व्याख्या देने के लिए अपनी टीकाएं लिखी हैं जैसे :- इंग्लैंड में कोक और ब्लैकस्टन के अभिमत को बहुत प्रमाणिक माना जाता है, अमेरिका में स्टोरी और केंट की टीकाओं को बहुत मान्यता दी जाती है। इन्हें न्यायालय में अपने निर्णय के आधार के रूप में उद्धृत किया जाता है।

4. न्याय निर्णय (Adjudication) - अधिकांश देशों में अनेक न्यायिक निर्णय या अधिनिर्णय कानून के बारे में ऐसे सिद्धांत या व्याख्याएं निर्धारित कर देते हैं जो भावी निर्णयों के लिए पूर्वदृष्टांत या आधार बन जाते हैं।

5. साम्य नीति या औचित्य (Equity) - न्यायाधीशों के समक्ष कभी कभी ऐसे विवाद उपस्थित हो जाते हैं जिनके संबंध में कानून कोई प्रकाश नहीं डालता। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश (Judge) विवेक, न्यायशास्त्र के अनुभव और न्याय की सामान्य मान्यताओं पर निर्णय सुनाते हैं और ये निर्णय ही औचित्यपूर्ण निर्णय कहलाते हैं। इंग्लैंड में संविधान और कानून के विकास में औचित्यपूर्ण निर्णयों का बहुत अधिक योग रहा है।

6. व्यवस्थापन, विधि निर्माण (Legislation) - जो कानून देश के विधानमंडल (संसद) के द्वारा विधिवत पारित किए जाते हैं वे कानून का मुख्य स्रोत हैं लोकतंत्रीय व्यवस्था में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानमंडल सांविधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप विधि निर्माण करते हैं। अतः ये कानून लोक इच्छा की अभिव्यक्ति माने जाते हैं।

—

Scanned with CamScanner